W.P. No.10982/2014

23.03.2017

Shri Vivekanand Awasthi, learned counsel for petitioner.

Shri Anoop Kumar Saxena, learned counsel for respondents.

Petitioners/defendants No.1, 4 and 5 take exception to orders dated 18.02.2014, 26.02.2014 and 07.05.2014 passed in Civil Suit No.17-A/2011.

By order dated 18.02.2014 and 26.2.2014 trial Court allowed plaintiff's application under Order 7 Rule 14 of the Code of Civil Procedure 1908; whereas, by order dated 7.5.2014 trial Court dismissed petitioner's application under Section 45 of the Indian Evidence Act and declined to refer the document which was allowed to be taken on record by order dated 18.2.2014 and 26.2.2014 for examination by an expert.

These three orders emanates from the proceedings dated 13.2.2014 whereon the defendant No.1 Mst. Ramkuawar, since deceased, during her cross examination was confronted with a document which was in possession of the counsel for the plaintiff and was called upon to identify the signature thereon to be her's. Defendant admitted her signature. However on an objection raised by the counsel for defendants, the permission to exhibit said document was declined. The proceedings give interesting reading:

"15. राठवाली मेरी दादी थीं। प्रदर्श डी—35 लगायत डी—50 तक के कागज किस संबंध में हैं, मैं नहीं बता सकती। विवादित मकान मेरे पिता के नाम था का मेरे द्व ारा कोई कागज पेश नहीं किया है। स्वतः कहा दादी के नाम का कागज पेश किया है। मेरी दादी के मरे तीस—चालीस साल हो गये हैं। शपथ पत्र पर बने हस्ताक्षर मेरे ही हैं। पहले अच्छा लिख लेती थी अब हाथ कपने लगे हैं। जवाब दावा पर बने हस्ताक्षर देखकर बताया कि मेरे हस्ताक्षर हैं। मैंने भगवानचरण, कमलेश शुक्ला, रामनरेश शुक्ला, श्रीमती साधना शुक्ला के पक्ष में विवादित मकान के संबंध में क्या कोई व्यवस्थ पत्र नहीं लिखा था। नोट— इसी स्तर पर वादी के अधिवक्ता ने अपनी फाइल में संलग्न एक दस्तावेज दिखाते हुये वादी के अधिवक्ता ने पूछा कि क्या उस पर आपके हस्ताक्षर हैं।

आपित्त— इस पर प्रतिवादी के अधिवक्ता ने आपित्त करके निवेदन किया कि जो दस्तावेज वादी के अधिवक्ता अपनी फाइल में रखे हैं, उस पर बने हस्ताक्षर साक्षियां के बने हैं या नहीं, जो दस्तावेज फाइल में नहीं है उसके अलावा किसी दस्तावेज पर बने हस्ताक्षर के बारे में अधिवक्ता को पछने की अनमित नहीं दी जाये।

जवाब आपत्ति— धारा—145 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कोई भी ऐसा दस्तावेज जो साक्षी ने पूर्व में निष्पादित किया है उसे दिखाकर साक्षी से पूछे जाने का विधान है तथा इस संबंध में मैंने साक्षी से सहमति पत्र दिनांक 27. 01.2008 के संबंध में प्रश्न किया है तथा दस्तावेज दिखाया है तो साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में कथित दस्तावेज पर प्रदर्श डाला जाये तथा उसे अभिलेख पर लिया जाये तथा हस्ताक्षर जो उसने स्वीकार किये हैं, उस पर भी पृष्ठांकित करने की कृपा की जाये।

निराकरण— वादीगण के अधिवक्ता ने जिस दस्तावेज पर साक्षियां के हस्ताक्षर बने हैं वह प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है, अपनी फाइल में से बिना न्यायालय की अनुमति के दस्तावेज पर बने हस्ताक्षर दिखाये। बिना दस्तावेज को न्यायालय की फाइल में ग्राह्य किये, दस्तावेज पर बने हस्थाक्षर की पहचान बाबत् दस्तावेज को साक्षियों को दिखाये जाने की अनुमति नहीं दी जाती है।"

To overcome the hindrance from exhibiting the document in question plaintiff filed an application under Section 145 of the Evidence Act and sought leave from the trial Court to confront the witness with the document in question. The application was allowed by order dated 18.2.2014 and by order dated 26.2.2014 allowed the said document to be taken on record.

Interestingly, on both occasions i.e. while passing order dated 18.2.2014 and 26.2.2014, the trial Court recorded a finding that the plaintiff has not given any cogent explanation as to why the document was not filed earlier or leave was not sought.

While deciding application under Section 145 on 18.2.2014, the trial Court recorded:-

"आवेदन पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण के तर्क श्रवण के पश्चात अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण की साक्ष्य समाप्त घोषित की जा चुकी है व प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। प्रतिवादी रामकुंवर के प्रतिपरीक्षण के दौरान सूची अनुसार प्रस्तुत दस्तावेज पर वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी फाइल में से दस्तावेज निकालकर दिखाया तो साक्षी ने बताया कि उस पर उसके हस्ताक्षर बने हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा— 145 के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी साक्षी की उन पूर्वतन कथनों के बारे में जो उसने लिखित रुप में किये है या तो लेखबद्ध किये गये हैं और जो प्रश्नगत बातों

से सुसंगत है ऐसा लेख उसे दिखाये बिना या ऐसे लेख के साबित हुये बिना प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी। किन्तु यदि उस लेख द्वारा उसका खण्डन करने की आशा है तो उस लेख को साबित किये जाने के पूर्व उसका ध्यान उस लेख के भागों की ओर आकर्षित करना होगा जिसका उपयोग उसके खण्डन करने के प्रयोजन से किया जाना है।

प्रतिवादी रामकुंवर—प्र.सा.1 ने सूची अनुसार दस्तावेज पर बने हस्ताक्षर के बाबत् अपनी स्वीकृति दी है, ऐसी स्थिति में सूची अनुसार दस्तावेज उस स्थिति में जबिक वादीगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही उसके बाबत् वादपत्र में कोई अभिवचन किया गया है, सूची अनुसार दस्तावेज पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर बने होने के तथ्य को उसे दिखाये जाने पर स्वीकार किया है, सूची अनुसाख्र दस्तावेज पूर्व में क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया, इसका वादीगण की ओर से कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया गया है।"

And while deciding the application under Order 7 Rule 14 CPC, the trial Court observed :

"आवेदन पत्र पर उभय पक्ष के तर्क श्रवण के पश्चात् अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र की कंडिका—1 में वर्णित भवन जिसका कि वाद पत्र के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है, का विवाद है जिसकी स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधज्ञा हेतु वादीगण द्वारा दावा दायर किया गया है। यह सही है कि वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य के दौरान सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। सूची अनुसार प्रस्तुत दस्तावेज एक पारिवारिक व्यवस्था पत्र है जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से यह कहा गया है कि वह फर्जी है, उस पर रामकुंवर के हस्ताक्षर नहीं है, दावा प्रस्तुत करने के बाद फर्जी बनाया गया है। न्यायालय के मत में दस्तावेज पर हस्ताक्षर प्रतिवादी के बने हैं या नहीं, इस बाबत् वादीगण को प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने का अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है यद्यपि दस्तावेज विलम्ब से प्रस्तुत किये गये हैं। ऐसी

स्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 14 (3) सी.पी.सी. तीन सौ रुपये परिव्यय पर स्वीकार किया जाता है व वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण में ग्राह्य किये जाते हैं। प्रतिवादीगण को यदि खण्डन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना है तो आगामी दिनांक तक प्रस्तुत करें।"

Yet the trial Court went on to allow the applications.

Section 145 of the Indian Evidence Act, 1872 envisages that "a witness may be cross-examined as to previous statements made by him in writing or reduced into writing, and relevant to matters in question, without such writing being shown to him, or being proved; but, if it is intended to contradict him by the writing, his attention must, before the writing can be proved, be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him."

Thus, previous statement of a witness can be used under this section only for the limited purpose of contradicting the evidence given by that witness in Court. It cannot be used as positive evidence. Contradictions comprise of two conflicting versions of witness, one in a statement earlier recorded and the another before Court. In the case at hand, as evident from the proceedings dated 13.02.2014 that the plaintiff intended to extract a positive evidence instead of extracting the contradiction. The trial Court was therefore, not justified in allowing the application under Section 145 of the Act of 1872 to enable the plaintiff to extract a positive evidence. The

impugned order is thus, not sustainable. Furthermore, the application under Order 7 Rule 14 of CPC to enable the plaintiff to file a document to extract a positive evidence from the defendant in cross-examination is also not justified. Consequently, the order taking document on record is setaside.

In view whereof, since the order dated 18.02.2014 and 26.02.2014 are set-aside, the application filed by the petitioner under Section 45 of the Act of 1872 is rendered redundant.

In the result, the petition is **allowed** to the extent above.

There shall be no costs.

(SANJAY YADAV) JUDGE

anand